कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 4815 भोपाल, दिनांक 11-9-24

प्रेषकः–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155493/2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPR 019/2023 BHO/I/80610 दिनांक 27.08.2024

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

1	The Conservator of Forests, Balaghat, had initially recommended the proposal road in online Part-III dated 09/04/2023 while as per site inspection report dated 14 / 02 / 2024, the proposed road is not recommended. The REC was of a view that the Conservator of Forest must come out with clear recommendation or otherwise in view of the above. The State Govt. should call for an explanation from the concerned CF for this and advise the officials to recommend the proposals after through examination.	वन संरक्षक बालाघाट ने अपने पत्र दिनांक 06.09.2024 से लेख किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग (7.47 हेक्टेयर) एवं कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपारकलां (6.705 हेक्टेयर) का स्थल निरीक्षण किया गया था। स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित मार्ग मुख्य मार्ग लांजी–खैरागढ़ को जोड़ते हैं तथा दोनों मार्ग ग्राम कट्टीपारकलां के लिए प्रस्तावित किए गए थे। तत्समय प्रस्तावित किए गए दोनों मार्गों का ग्रामीणों के आवागमन संबंधी एवं वैकल्पिक उपयोगों का स्थल पर तुलनात्मक परीक्षण करने के उपरांत इस मार्ग की आवश्यकता एवं उपयुक्तता प्रतीत नहीं हुई थी। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए तत्समय स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.02.2024 से कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग निर्माण की अनुसंशा नहीं की गई थी।

–2–

		प्रस्तावित कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग निर्माण की आवश्यकता के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन ने अपने पत्र दिनांक 04.09.2024 से अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि कांद्रीकला से कट्टीपार क्षेत्र नक्सलवाद से भयंकर रूप से ग्रसित है। नक्सली उन्मूलन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण के लिए यह मार्ग कारगर होगा। वन संरक्षक, बालघाट को पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन ने दूरभाष दिनांक 05.09.2024 को अवगत कराया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस को प्रभावी नियंत्रण एवं पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से यह मार्ग अत्यंत आवश्यकता है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तावित मार्ग निर्माण की वन संरक्षक, बालाघाट द्वारा अनुशंसा की गई है। अतः प्रकरण में वन संरक्षक, बालाघाट द्वारा पूर्व में की गई अनुशंसा को शून्य किए जाने का कष्ट करें। वन संरक्षक, बालाघाट का प्रतिवेदन दिनांक 06.09.2024 पोर्टल में अपलोड है।
2	According to the site inspection report by the Conservator of Forest, Balaghat, the proposed road is not recommended for approval, yet the proposal was forwarded for wildlife clearance. A proper justification for forwarding the proposal for wildlife approval also needs to be submitted.	वन संरक्षक, बालाघाट द्वारा पूर्व में अनुशंसा नहीं की जाने का औचित्य बिन्दु क्रमांक 01 में दे दिया गया है। प्रस्तावित मार्ग की वन्यप्राणी अनुमति हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक / WL/MP/ ROAD/465890/2024 से आवेदन किया गया है, जो वर्तमान में भारत सरकार स्तर पर वन्यप्राणी अनुमति हेतु लंबित है।

अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

11.09.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 4816 भोपाल, दिनांक 11-9-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बालाघाट मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

11.09.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

E:\Rakesh\02024\1GOI 23-05-2023 to 27-08-2024.docx

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–240268

क्रमांक / तक. कक्ष / 1307 बालाघाट, दिनांक : 06/09/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(कक्ष भू–प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत कांद्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/ROAD/155493/2022)

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 4665 दिनांक 02.09.2024.

–0–

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 6-MPR 019/2023-BHO/I/80610 दिनांक 27.08.2024 द्वारा 02 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। जो निम्नानुसार है :–

1	The conservator of Forests, Balaghat, had initially recommended the proposal road in online Part-III dated 09-04-2023 while as per site inspection report dated 14-02-2024, the proposed road is not recommended. The REC was of a view that the Conservator of forest must come out with clear recommendation or otherwise in view of the above. The State Govt. should call for an explantion from the concerned CF for this and advise the officials to recommend the proposals after through examination.	उक्त बिन्दु के संबंध में लेख है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत प्रस्तावित कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग (7.47 हेक्टेयर) एवं कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपारकलां (6.705 हेक्टेयर) तक सड़क मार्गो का मेरे द्वारा दिनांक 14.02.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनो ही प्रस्तावित मार्ग मुख्य मार्ग लांजी–खैरागढ़ को जोड़ते हैं। तथा दोनो ही मार्ग ग्राम कट्टीपारकलां के लिये ही प्रस्तावित किये गये है। अत्एव तत्समय प्रस्तावित किये गये दोनों मार्गो का ग्रामीणों के आवागमन संबंधी एवं वैकल्पिक उपयोगों का स्थल पर तुलनात्मक परीक्षण उपरान्त कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग की आवश्यकता / उपयुक्तता प्रतीत नहीं हुई। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर तत्समय स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन 14.02.2024 में प्रस्तावित कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग निर्माण किये जाने की अनुशंसा नहीं की गई। प्रस्तावित कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / तक.कक्ष / 1289 दिनांक 03.09.2024 से *आवश्यक पहलु जैसे नक्सली उन्मूलन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण के लिये यह मार्ग क्या आवश्यक एवं अनिवार्य है ?* वस्तुस्थिति पर आधारित प्रतिवेदन पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट से चाहा गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके पत्र क्रमांक / पुमनि. / बाला. / न.सेल / 1513–ए / 24 दिनांक 04.09.2024 (संलग्न है) से इस कार्यालय को प्राप्त प्रतिवेदन में लेख किया गया कि "कांद्रीकला से कट्टीपार क्षेत्र नक्सलवाद से भयंकर रूप से ग्रसित है। कांद्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण करना नक्सली उन्मूलन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है। उक्त मार्ग बन जाने के बाद नक्सल विरोधी अभियान अधिक प्रभावी और कारगर सिद्ध होगा।" उपर्युक्त अभिमत से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क का निर्माण अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होना है, जिसका उपयोग नक्सली उन्मूलन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है। पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन ने दूरभाष दिनांक 05.09.2024 को यह भी अवगत कराया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस को प्रभावी नियंत्रण एवं पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से एक से अधिक मार्ग की आवश्यकता होती है। अत्एव उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तावित कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग के निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए उक्त मार्ग निर्माण की अनुशंसा की जाती है।

		अतः प्रकरण में दी जा रही अनुशंसा को मान्य करते हुये दिनांक 01.05.2024 को प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग के निर्माण के संबंध में दिये गये अभिमत को शून्य मान्य किये जाने हेतु अनुरोध है।
2	According to the site inspection report by the Conservator of Forest, Balaghat, the proposed road is not recommended for approval, yet the proposal was forwarded for wildlife clearance. A proper justification for forwarding the proposal for wildlife approval also needs to be submitted.	उक्त बिन्दु के संबंध में वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट के पत्र क्रमांक/तकनीकी/1150 दिनांक 06.09.2024 (संलग्न है) से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार "प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग के निर्माण हेतु पार्ट– II की पूर्ति हेतु प्रकरण दिनांक 09.06.2024 को ऑनलाईन वन्यजीव परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्राप्त हुआ। पार्ट– II में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनके द्वारा पूर्ति करते हुये प्रकरण दिनांक 15.06.2024 को मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक म.प्र. भोपाल की ओर अग्रेपित किया गया है।"

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

06/9/2024

(ए.पी.एस. सेंगर)
भा.व.से.
वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.
06/9/2024

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन, बालाघाट

क्रमांक / पुमनि० / बाला० / न०सेल / 1513–ए / 24 दिनांक 04 / 09 / 2024

प्रति,

वन संरक्षक
वन वृत्त बालाघाट
मध्यप्रदेश

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत कांद्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वन भूमि म०प्र० ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रस्तुत प्रस्ताव कमांक / FP / MP / ROAD / 155493 / 2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्र. / तक.कक्ष / 1289 / बालाघाट दिनांक 03.09.2024

****

वनसंरक्षक
घाट वृत्त (म.प्र.)

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है कि भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 27.08.2024 के बिन्दु कमांक–01 में विस्तृत परीक्षण के निर्देश पर आग्रह है कि कांद्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण करना नक्सली उन्मूलन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक अनिवार्य है? अथवा उक्त वैकल्पिक मार्ग किमी0 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकला मार्ग का निर्माण होने से उक्त मार्ग की आवश्यकता नहीं है? इस संबंध में वस्तु स्थिति पर आधारित विस्तृत प्रतिवेदन चाहा गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में लेख है कि कांद्रीकला से कट्टीपार क्षेत्र नक्सलवाद से भयंकर रूप से ग्रसित है। कांद्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण करना नक्सली उंन्मूलन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है। उक्त मार्ग बन जाने के बाद नक्सल विरोधी अभियान अधिक प्रभावी और कारगर सिद्ध होगा।

4/9

(संजय कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक
बालाघाट जोन, बालाघाट

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल
बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष नं.–(07632-248414)
Email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / तकनीकी / 1150 बालाघाट, दिनांक 06 / 09 / 2024

प्रति,

वनसंरक्षक,
बालाघाट वनवृत्त म.प्र.

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत कांद्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक / **FP/MP/ROAD/155493/2022)**

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक / तक.कक्ष / 3841 दिनांक 03.09.2024.

—00—

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 02 के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपार सड़क मार्ग के निर्माण हेतु पार्ट–।। की पूर्ति हेतु प्रकरण दिनांक 09.06.2024 को ऑनलाईन वन्यजीव परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्राप्त हुआ। पार्ट–।। में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ति करते हुये प्रकरण दिनांक 15.06.2024 को मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक म.प्र. भोपाल की ओर अग्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल,बालाघाट

...\Desktop\Memo Letter ST.docx